भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2169

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 09 दिसंबर, 2024

18 अग्रहायण,1946 (शक)

आंध्र प्रदेश में विरासत अपनाओ योजना

2169. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में, इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक विरासत अपनाने की योजना के अंतर्गत स्मारकों/स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक स्मारक/ स्थल में योजना के अंतर्गत प्रमाणित बुनियादी प्रसुविधाएं और सुविधाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विरासत अपनाने की योजना के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य से 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्राप्त करने वाले स्मारकों/ स्थलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त 'रुचि की अभिव्यक्ति' में से किसी को स्वीकार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश राज्य में आदर्श स्मारक योजना के अंतर्गत स्मारकों की सूची बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत नेल्लोर जिले या आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी संरक्षित स्मारक को गोद नहीं लिया गया है। एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है ।

(ख): एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम में विभिन्न सुविधाओं को विकसित करना/प्रदान किया जाना परिकल्पित है जिन्हें संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों के संपूर्ण अनुभव को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें पर्यटक-अनुकूल वनाने के लिए व्यापक रूप से चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सुविधाओं का समूह-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में है। इसके अलावा, यह भी अवगत कराना है कि अधिक पर्यटक वाले संरक्षित स्मारकों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): **अनुबंध-I** में उल्लिखित स्मारकों के अतिरिक्त, पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त इच्छुक संस्थाओं के साथ स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध III** में है।

(ङ): स्मारकों की सुरक्षा के प्रस्तावों की जांच करना एक सतत् प्रक्रिया है । फिलहाल, आंध्र प्रदेश राज्य में सूची का विस्तार करने के लिए कोई प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(च): कुल 100 आदर्श स्मारकों को एकबारगी के कार्यक्रम के रूप में पर्यटक सुविधाओं के संवर्धन के लिए चिह्नित किया गया है ।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 09.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2169 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 के अंतर्गत शुरू किए गए स्मारकों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	स्मारक का नाम	स्मारक सारथी /साथी	राज्य
1	आगरा किला, आगरा (उत्तर प्रदेश)	ईज़ माई ट्रिप फाउंडेशन	उत्तर प्रदेश
2	महरौली पुरातत्व पार्क, दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
3	बौद्ध स्तूप, केसरिया , चंपारण	आईडीडी व्यापार परिषद	बिहार
4	सफदरजंग मकबरा, दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो	ईज़ माई ट्रिप फाउंडेशन	मध्य प्रदेश
6	कैलासनाथ मंदिर, कांचीपुरम (तमिलनाडु)	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल)	तमिलनाडु
7	स्मारक समूह, मामल्लपुरम	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल)	तमिलनाडु
8	सूर्य मंदिर, कोणार्क , पुरी (ओडिशा)	ईज़ माई ट्रिप फाउंडेशन	ओडिशा
9	एलीफेंटा गुफाएँ, रायगढ़ (महाराष्ट्र)	महेश एंटरप्राइजेज एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
10	ऊपरी किला अगुआडा, गोवा	दृष्टि लाइफसेविंग प्राइवेट लिमिटेड	गोवा
11	पुराना किला , दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
12	कुतुबमीनार , दिल्ली	ईज़ माई ट्रिप फाउंडेशन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
13	हुमायूं का मकबरा	सभ्यता फाउंडेशन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14	जंतर मंतर	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
15	स्मारकों का समूह, हौज़खास	टाटा पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
16	उग्रसेन की बावली	ज़ी आकाश	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
17	दिल्ली गेट	रेडटेप लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
18	कश्मीरी गेट और मोरी गेट	रेडटेप लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
19	भीमबेटका के शैलाश्रय, रायसेन	एचईजी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
20	अजमेरी गेट, दिल्ली	रेडटेप लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
21	मदरसा महमूद गवान , बीदर	शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस	कर्नाटक

लोकसभा में दिनांक 09.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2169 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 के अंतर्गत विकसित/प्रदान की जाने वाली प्रकल्पित सुविधाओं का समूह

क्र. सं.	सुविधा समूह	सुविधा का नाम	सुविधा का विस्तार
1	स्वच्छता	प्रसाधन	पुरुष
			महिला
			दिव्यांग
		पेय जल	पानी के फव्वारे/ डिस्पेंसर/ एटीएम/ कियोस्क
		शिशु देखभाल कक्ष	
		कचरा प्रबंधन	कचरे के डिब्बे
			पीईटी क्रशिंग मशीन
		जूतों का कवर	
2	सुलभता	टैक्टाइल पट्टी के साथ पहुंच मार्ग	
		ई- रिक्शा /फेरी/ई-कार्ट	
		बाधा मुक्त पहुंच	रैंप
			व्हीलचेयर
			लिफ्ट (अव्यवहार्य रैम्पों के स्थान पर)
		संकेतक	सांस्कृतिक सूचना बोर्ड (ब्रेल संस्करण सहित बहुभाषी)
			दिशात्मक
		वाई-फाई सुविधा	
		पार्किंग	
		साफ्ट लैंडस्केप	
3	सुरक्षा	प्राथमिक उपचार (जहाँ आवश्यक हो वहां *जीवन रक्षक जैकेट सहित*)	
		सीसीटीवी निगरानी	
		प्रकाश एवं प्रदीप्तिकरण	ग्रीन डीजी सेट के साथ
			नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत
		क्लॉक रूम	
4	ज्ञान	बिक्री काउंटर	स्मारिका
			प्रकाशन
			कैफेटरिया
		व्याख्या उपकरण	ऑडियो विजुअल/मल्टीमीडिया कक्ष
			ऑडियो गाइड/ऐप आधारित गाइड
		सांस्कृतिक / लाइट एंड साउंड शो	

अनुबंध- III

लोकसभा में दिनांक 09.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2169 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्मारकों और इच्छुक संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इच्छुक स्मारक	इच्छुक संस्था
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	खान-ए - खाना का मकबरा	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	नजफ़ ख़ान का मकबरा	स्वस्दे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (गैलेक्सी ग्रुप)
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	तुगलकाबाद किला	बिसलेरी इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड
4.	गुजरात	दादा हरीर की बावड़ी	
5.	गुजरात	जेठाभाई बावड़ी	
6.	हरियाणा	सूरजकुंड	
7.	राजस्थान	रणथंभौर किला	
8.	राजस्थान	अबानेरी बाउड़ी	
9.	राजस्थान	बावड़ी एवं निकटवर्ती पुरातात्विक अवशेष, नीमराणा	
10.	उत्तर प्रदेश	कालिंजर किला	

****